न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री भगवत सिंह देवल

तारीख रजू– 18/03/2016

अपील संख्या 57/16

मोहन पुत्र रामलाल जाति मीना निवासी रामगढ मुराडा तहसील गंगापुरसिटी। ––अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार,तलावडा। ––––– रेस्पो0

दिनांक–29/06/2016

निर्णय

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार,तलावडा द्वारा मिसल संख्या 883/15 मे पारित आदेश दिनांक 01/10/2015 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम रामगढ मुराडा की आराजी खसरा नम्बर 1400/1672 रकवा 0.45 हैक्टर किस्म गै0मु0चरागाह पर संवत 2072 खरीफ मे अनाधिकृत रूप से कब्जा कर काश्त करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने व फसल जब्त कर नीलाम करने के साथ साथ अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण निस्तारण हेतु राजस्व लोक अदालत मे रखा गया।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो का वर्णन करते हुए बहस मे तर्क दिया कि अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थी को पटवारी हल्का के बयानो पर जिरह का कोई अवसर प्रदान नही किया गया है ओर न ही अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से पूर्व सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान किया है। अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट व बयान को एकमात्र आधार मानकर अपीलार्थी को बिना सुने एकपक्षीय निर्णय पारित किया है इस कारण अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जबकि पत्रावली मे ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य मोजूद नही है। अपीलार्थी को पूर्व निर्णय की पालना मे अतिक्रमित आराजी से भोतिक रूप से बेदखल भी नही किया गया है ओर न ही बेदखली बाबत कोई स्वतन्त्र साक्ष्य है इस कारण अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अतिक्रमित आराजी के लगवा ही अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि है जिस पर ही अपीलार्थी का कब्जा काश्त रहा है किंतु अदालत मातहत ने मोके की जांच किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे तर्क दिया कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने व अपीलार्थी का अतिचारित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिचार पाये जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नही है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

दोनो पक्षो की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की अपीलार्थी के विरूद्व पश्चातवर्ती अतिचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने हेतु धारा 91(3) का नोटिस नियत दिनांक

का जारी किया है जिस पर अपीलार्थी की प्रोपर तामील हुई है। अतः वकील अपीलार्थी का कथन कि उसे सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान नही किया गया है मिथ्या है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचार होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली मे पटवारी हल्का की रिपोर्ट व बयान के अतिरिक्त खसरा परिवर्तनशील (पी.14) की प्रमाणित प्रति पत्रावली मे शामिल है जिसमे सवत 2071 खरीफ मे अतिचारित भूमि पर अपीलार्थी का अतिचार होना बता रखा है जिससे अपीलार्थी का अतिक्रमित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिचार की पुष्टि होती है परन्तु अदालत हाजा ने भी अदालत मातहत से अपीलार्थी के अतिक्रमित रकबे की वर्तमान कब्जा रिपोर्ट मंगवायी है जिसमे हल्का पत्रांक 421 दिनांक 27/06/16 से अवगत कराया है कि अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का कब्जा नही है मोके पर भूमि खाली पडी है तथा भूमि मवेशियो के चरने के काम आ रही है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी ने अदालत हाजा मे इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी ने अतिक्रमित आराजी से अपना अतिक्रमण हटा लिया है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा प्रेषित वर्तमान रिपोर्ट मे अतिक्रमित आराजी खाली पडी होने व अपीलार्थी द्वारा अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्र कि अपीलार्थी ने अतिक्रमित आराजी से अपना कब्जा हटा लिया है, अपीलार्थी के विरुद्ध अदालत मातहत द्वारा पारित पश्चातवर्ती अतिचार के निर्णय पर लोक अदालत की भावना से सहानुभूति का रूख अपनाया जाकर अपील अपीलार्थी सशर्त स्वीकार किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी सशर्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे बेदखली,शास्ति व फसल जब्त कर नीलामी का आदेश तो यथावत रखा जाता है का सिविल कारावास के बिन्दु पर प्रकरण अदालत मातहत को इस शर्त के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी का अतिचार अतिक्रमित आराजी पर संवत 2073 खरीफ मे नही पाया जाता है तो सिविल कारावास की सजा का आदेश निरस्त समझा जावे ओर यदि अपीलार्थी का अतिचार पाया जावे तो अपीलाधीन निर्णय मे पारित सिविल कारावास की सजा का आदेश यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 29/06/16 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

29-6-16

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर